UPFR010037722025

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. एक्ट/ अपर सत्र न्यायाधीश, फर्रूखाबाद।

उपस्थितः– तरूण कुमार सिंह–प्रथम–––––––एच०जे०एस० J.O.Code–UP6264

सत्र वाद संख्या– **393/2025**

बबलू प्रति **सत्यनाथ**

धारा–**323/34, 452, 506 भा०दं०सं०**

व धारा **3(1)(द) एस.सी./एस.टी.एक्ट**

थाना– **मऊदरवाजा**

जिला– फर्रूखाबाद

07.07.2026

पत्रावली पेश हुयी। पुकार करायी गयी। अभियुक्त सत्यनाथ अनुपस्थित है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त सत्यनाथ न्यायालय में निरन्तर अनुपस्थित चल रहा है। अभियुक्त के विरुद्ध गैर जमानतीय वारण्ट जारी किया गया। तदुपरान्त अभियुक्त के विरुद्ध दं.प्र.सं. की धारा 82, 83 की कार्यवाही भी सम्पादित हो चुकी है, फिर भी अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है।

अभियुक्त सत्यनाथ की पत्रावली बहस के स्तर पर मूल पत्रावली विशेष सत्र परीक्षण संख्या 14/2019 से पृथक कर दर्ज की गयी। घटना दिनांक 07.12.2017 की है। जिसमें अभियोजन द्वारा तीन साक्षीगण के परीक्षित कराया जा चुका है। अभियोजन को इस स्तर पर अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना है।

अभियुक्त को दं.प्र.सं. की धारा 299 के तहत दिनांक 03.09.2025 को फरार घोषित किया जा चुका है। तदुपरान्त तामील कुनिन्दा सी.डब्लू. 1 उ.नि. लक्ष्मन सिंह को न्यायालय में परीक्षित कराया गया। इस साक्षी ने बताया कि अभियुक्त सत्यनाथ कहीं चला गया है, अभियुक्त की वर्तमान में कोई जानकारी नहीं है, मोहल्ले में उसकी कोई चल–अचल सम्पत्ति नहीं है।

साक्षी सी.डब्लू. 1 ने धारा 82 व 83 दं.प्र.सं. की आदेशिका पर प्रस्तुत आख्या को क्रमशः **प्रदर्श ग–1** व **प्रदर्श ग–2** के रुप में साबित किया है जबकि गिरफ्तारी अधिपत्र पर अंकित आख्या को **प्रदर्श ग–3** व सभासद पूनम देवी, वार्ड सं० 7, लक्ष्मीबाई नगर, नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद द्वारा जारी प्रमाणपत्र को **प्रदर्श ग–4** के रुप में साबित किया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में मामले में धारा 299 दं.प्र.सं. की कार्यवाही किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

Digitally signed by TARUN KUMAR SINGH
Date: 2026.07.07 12:10:26 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

इस प्रकार इस प्रकरण में अभियुक्त के निरन्तर अनुपस्थित रहने तथा अभियुक्त को न्यायालय मे प्रस्तुत किये जाने हेतु सभी आवश्यक उपक्रम नियमानुसार अपनाये जाने के उपरान्त अभियुक्त को फरार घोषित किया गया है। अभियुक्त के निकट भविष्य मे तुरन्त गिरफ्तार किये जाने की संभावना नही है। अभियुक्त की निरन्तर अनुपस्थिति के कारण उक्त पत्रावली अनावश्यक रूप से न्यायालय में लम्बित है, जिसे संरक्षित किया जाना आवश्यक है और इस मामले मे अभियुक्त को गिरफ्तार कर उपस्थित किये जाने पर अभियुक्त का नियमानुसार विचारण किया जाना न्यायसंगत होगा।

उपरोक्त परिस्थितियों में अभियुक्त सत्यनाथ के विरूद्ध **स्थायी वारण्ट** जारी कर थानाध्यक्ष मऊदरवाजा को इस आशय का भेजा जाए कि यदि अभियुक्त सत्यनाथ भविष्य में गिरफ्तार किया जाता है तो उसके विरुद्ध इस मुकदमें की विचारण कार्यवाही अग्रिम स्तर से पुनः संचालित की जाएगी।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाए।

दिनांक– 07.07.2026

(**तरूण कुमार सिंह–प्रथम**)
विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फर्रूखाबाद।